2-2

प्रपत्र–3

परियोजना का नामः– माननीय मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या 216/2014 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में न्यू–सोबला से सुवा तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

परियोजना के निर्माण हेतु शासन/विभागध्यक्ष द्वारा निर्गत प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

सहायक अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
धारचूला

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि
अस्कोट (पिथौरागढ़)

2.2

संख्या– 6203 / III(2)/14–04(मु0मं0घो0)/2

प्रेषक,

अरविन्द सिंह पांगती
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2

देहरादून: दिनांक: 21 /नवम्ब

विषयः– वित्तीय वर्ष 2014–15 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न 11 कार्यों की प्रथम प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय मुख्य अभिय मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत संलग्न विवरणानुसार प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये 11 कार्यो के प्रारम्भिक आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 54.50 किमी0 + 01 सेतु सहित तथा लागत ₹ 491. है, पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत **₹ 491.50 लाख** (₹ चार करोड़ इक्यानवे लाख हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में संल कॉलम सं0–5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात कुल 11 कार्यो हेतु **₹ 1.1** (₹ एक लाख दस हजार मात्र) की धनराशि, व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की महामहिम श्री र निम्नांकित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i)– उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया तदोपरान्त शासनादेश सं0:–1764/ III(2)/10–17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस् विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजन पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)– आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियम अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कद किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)– स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स–2008 एवं उक्त के विषय में समय–सम निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देश भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:– 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–05–2006 निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्ब यथावश्यक व्यय अनुदान सं0–22–लेखाशीर्षक–5054 सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा सड़कें– आयोजनागत–800–अन्य व्यय–05–सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि क्रय–00–24 वृहत नि कार्य में विभागीय आय–व्ययक मे प्राविधानित निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
धारचूला

2.2

(ix)- स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)- वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2015 तक सुनिश्चित किया जायेगा यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(xii) प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाईन/मानक, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तदनुसार कार्यवाही की जाय।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22-लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें -आयोजनागत -800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-460/XXVII/(2)/2014 दि0:- 19 नवम्बर, 2014 प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः- यथोपरि।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह पांगती)
उप सचिव

संख्याः- (1)/III(2)/14-04(मु0मं0घो0)/2014टी0सी0 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी पिथौरागढ़।
4. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि., अल्मोड़ा।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/पिथौरागढ़।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. मुख्यमंत्री घोषणा अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन।
9. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह पांगती)
उप सचिव

Pandey
सहायक अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
धारचूला

2.2

शासनादेश संख्या– 6263/III(2)/14–04(मु0मं0घो0)/2014टी0सी0 दिनांक 21 नवम्बर, 2014 का संलग्नक

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0 स0	कार्य का नाम	लम्बाई किमी0 में	टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय हेतु अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–247/2014 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ में ग्राम सिन्तोली से भुरमुनी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	4.500	**36.05** (₹ 26.33 लाख + ₹ 9.72 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
2	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–227/2014 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट में कनालीछीना से सिरोली ग्राम तक 3.00 कि.मी. मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	3.00	**27.00** (₹ 17.55 लाख + ₹ 9.45 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
3	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–248/2014 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ में सल्ला से पंचेश्वर मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	8.00	**64.08** (₹ 46.80 लाख + ₹ 17.28 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
4	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–216/2014 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में नारायण आश्रम मोटर मार्ग से हिमखोला तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2.00+ 1Bridge	**19.94** (₹ 13.10 लाख + ₹ 6.84 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
5	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–216/2014 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में समरी से कुरीला तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4.00	**37.08** (₹ 23.40 लाख + ₹ 13.68 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
6	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–216/2014 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में न्यू सोबला से सुवा तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	8.00	**74.16** (₹ 46.80 लाख + ₹ 27.36 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
7	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–216/2014 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में तीजम से सुमदुम तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	8.00	**74.16** (₹ 46.80 लाख + ₹ 27.36 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
8	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–216/2014 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में लुम्ती मोटर मार्ग से मल्ला लुम्ती मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4.00	**37.08** (₹ 23.40 लाख + ₹ 13.68 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
9	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–217/2014 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में खोतिला व्यास नगर मार्ग का निर्माण।	3.00	**27.81** (₹ 17.55 लाख + ₹ 10.26 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10

सहायक अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
धारचूला

शासनादेश संख्या:– 6203/ III(2)/14–04(मु0मं0घो0)/2014 दिनांक 21 ~~अक्टूबर~~ नवम्बर, 2014 का संलग्

10	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–236/2014 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में स्यांकुरी से खेला तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	6.00	55.62 (₹ 35.10 लाख + ₹ 20.52 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
11	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–215/2014 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला, में लुम्ती से घरूडी, मनकोट मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4.00	38.52 (₹ 23.40 लाख + ₹ 15.12 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
	योग:–	54.50	491.50	1.10

(कुल ₹ एक लाख दस हजार मा

(अरविन्द सिंह पांगती)
उप सचिव

Photo copy attested

सहायक अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
धारचूला